रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1201] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 2013/ज्येष्ठ 3, 1935
No. 1201] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2013/JAISATHA 3, 1935

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली मई 24, 2013

### अधिसूचना

**का.आ. 1355.(अ).**—यत: केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1267 (अ), तारीख 16 नवम्बर, 2004 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45बी के 0.000 कि.मी. से 125.000 कि.मी. (त्रिची-मलूर-मदुरै सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यत:, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण को, निम्नलिखित अनुसार खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत किया था।

I तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-45बी पर 0.000 कि.मी. से 60.950 कि.मी. (त्रिची-तोवरनकुरिचि सेक्शन) तक के खण्ड हेतु का.आ.सं. 409 (अ), दिनांक 13 मार्च, 2012 द्वारा।

II तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-45बी पर 60.950 कि.मी से 124.840 कि.मी. (तोवरनकुरिचि-मदुरै सेक्शन) तक के खण्ड हेतु का.आ.सं. 455 (अ), दिनांक 16 मार्च, 2012 द्वारा।

3305 GI/13

और यत:, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्राधिकरण ने, मैसर्स ईगल दीप त्रिची बाइपास टोलवेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट न0 एम-2, रीजेन्सी गार्डन अपार्टमेंट, रतनदीप के सामने, उल्हासनगर-421003, महाराष्ट्र में है (जिसे इसमें इसके बाद "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 बी पर 0.000 कि.मी. से 124.840 कि.मी. तक त्रिची बाइपास-तोवरनकुरिचि-मदुरै सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर विकास हेतु 26.11.2012 को प्रस्तुत बोली के संबंध में करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)

अत: अब, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचनाओं संख्या का.आ.409 (अ), तारीख 13 मार्च, 2012 तथा का.आ.455 (अ), तारीख 16 मार्च, 2012 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गयी हैं या करने से लोप करा दी गई है, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 94.980 कि.मी. हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है), पर और छह बाइपासों हेतु, जिनकी सकल लम्बाई 29.543 कि.मी. है और जिनकी लागत दस करोड़ रुपये या अधिक है नीचे सारणी -1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जायेगा, और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत और उसे प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

**सारणी -1**

| वाहन का प्रकार | आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन | 0.65 |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहन अथवा मिनी बस | 1.05 |
| बस या ट्रक (दो धुरी वाले) | 2.20 |
| तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | 2.40 |
| भारी निर्माण सामग्री (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) या मल्टी धुरी वाहन (एमएवी) (चार से | 3.45 |

| | |
|---|---|
| छह धुरी वाले) | |
| बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले) | 4.20 |

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य एवं संदेय होगा :

| टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है |
|---|---|
| पुडुकोट्टई जिले में बूथाकुड़ी गांव के पास 21.020 किमी | 47.950 |
| मदुरै जिले में चित्तमपट्टी गांव के पास 113.630 किमी | 47.030 |

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए, निम्नलिखित शुल्क भी, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर शोध्य और संदेय होगा;

| टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाइपासों की लम्बाई (कि.मी. में) जिनके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है |
|---|---|
| पुडुकोट्टई जिले में बूथाकुड़ी गांव के पास 21.020 कि.मी. | 4.783 (त्रिची बाइपास 0.317 कि.मी. से 5.100 कि.मी. |
| | 3.950 (विरालीमलाई बाइपास 24.750 कि.मी. से 28.700 कि.मी.) |
| | 3.950 (तोवरनकुरूचि बाइपास 57.000 कि.मी. से 60.950 कि.मी.) |
| मदुरै जिले में चित्तमपट्टी गांव के पास 113.630 कि.मी. | 3.700 (कोट्टमपट्टी बाइपास 75.900 से 79.600 कि.मी.) |
| | 7.280 (मेलूर बाइपास 97.250 कि.मी. से 104.530 कि.मी.) |
| | 5.880 (ओथाकडई बाइपास 118.960 कि.मी. से 124.840 कि.मी. |

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से 20 कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रुपए (दो सौ पंद्रह रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

| संदेय धनराशि | अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की | विधिमान्यता की अवधि |
|---|---|---|

| | अधिकतम संख्या | |
|---|---|---|
| एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना | दो | संदाय के समय से चौबीस घंटे |
| पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो - तिहाई | पचास या अधिक | संदाय की तारीख से एक मास |

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी 1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर पर आधारित यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क की राशि और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचारपत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और, तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 तथा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा तथा उसे प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में संशोधन किए जाने की पिछली तारीख से छः महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।

10. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से वसूल की जाने वाली परियोजना को पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 1024.75 करोड़ रुपये (एक हजार चौबीस करोड़ और पचहत्तर लाख रुपये मात्र) है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से टोल का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 और उसमें आगे के संशोधनों के अधीन बोली की देय तारीख तक लागू दरों पर किया जायेगा। पुंजीगत लागत की वसूली हो जाने के दिन के बाद से ली जाने वाली टोल की दर को ली जा रही दर से 40% कम कर दिया जायेगा। यदि किसी कारण से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 90 दिन तक पहले/बाद में कर दी जाती है तो वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत का फिर से हिसाब लगाया जाएगा और इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख बाद 30 दिन के अन्दर रियायतग्राही को सूचित कर दिया जाएगा।

[फाइल संख्या भाराराप्रा/13013/746/सीओ/12-13/जीसी-त्रिची(0.00-124.84)ओएमटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव,

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the 24th May, 2013

## NOTIFICATION

**S.O. 1355(E).**—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping Road Transport and Highways ( Department of Road Transport & Highways) .number S.O. 1267(E), dated the 16th November, 2004, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government, has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 125.000 (Trichy-Malur-Madurai Section) of National Highway No. 45B, in the State of Tamil Nadu, to the National Highways Authority of India ( hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

I. Vide S.O. No. 409 (E) dated 13th March, 2012 for the stretch from km. 0.000 to km. 60.950 (Trichy-Tovarankurichi Section) on NH-45B in the State of Tamilnadu.

II. Vide S.O. No 455 (E) dated 16th March, 2012 for the stretch from km. 60.950 to km. 124.840 (Tovarankurichi-Madurai section) on NH-45B in the State of Tamilnadu.

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on February 21, 2013 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s. Eagle Deep Trichy Bypass Tollways India Private Limited, having registered office at Flat No. M-2, Regency Garden Apartment Opp Ratandeep, Ulhasnagar – 421003, Maharashtra (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 26.11.2012 for the development of Trichy Bypass - Tovarankurichi - Madurai section from kilometer 0.000 – kilometer 124.840 on National Highway No. 45B (hereinafter referred to as the "said section") on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules"), and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 409(E), dated the 13th March, 2012, and S.O. 455(E), dated the 16th March, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 94.980 Kms for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and one half times the base rate for six nos. of bypasses having aggregate length of 29.543 km. and costing Rupees ten Crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

**TABLE 1**

| Type of vehicle | Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle | 0.65 |
| Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus | 1.05 |
| Bus or Truck (Two Axles) | 2.20 |
| Three – axle commercial vehicles | 2.40 |
| Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles) | 3.45 |
| Oversized Vehicles (seven or more axles) | 4.20 |

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plazas :

| Location of Toll Plazas (chainage) | Length (in km) for which Fee is payable |
|---|---|
| Km 21.020 near village Boothakudi in Pudukottai district | 47.950 |
| Km 113.630 near village Chittampatti in Madurai district | 47.030 |

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses at the following Toll Plazas :

| Location of Toll Plaza (chainage) | Length (in km) of bypasses costing more than 10 crores for which additional fee is payable |
|---|---|
| Km 21.020 near village Boothakudi in Pudukottai district | 4.783 (Trichy Bypass from Km. 0.317 to Km. 5.100) |
| | 3.950 (Viralimalai Bypass from Km. 24.750 to Km. 28.700) |
| | 3.950 (Tovarankurichi Bypass from Km. 57.000 to Km. 60.950) |
| Km 113.630 near village Chittampatti in Madurai district | 3.700 (Kottampatti Bypass from Km. 75.900 to Km. 79.600) |
| | 7.280 (Melur Bypass from Km. 97.250 to Km. 104.530) |
| | 5.880 (Othakadai Bypass from Km. 118.960 to Km. 124.840) |

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

| Amount Payable | Maximum number of one way journeys allowed | Period of validity |
|---|---|---|
| One and half times of the fee for one way journey | Two | Twenty four hours from the time of payment |
| Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more | Fifty or more | One month from date of payment |

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rule.

9. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and published provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

10. The present value of Capital Cost of the Project to be recovered from the date of COD is Rs. 1024.75 Crores (Rupees One Thousand Twenty Four Crores and Seventy Five Lakhs only). From the Commercial Operation Date (COD) toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and further amendments till bid due date. After the day on which the Capital Cost is recovered the toll rates chargeable shall be reduced to 40% of rate being charged. In case, due to any reason, COD is advanced/postponed upto 90 days, the Capital Cost to be recovered shall be reworked and intimated to the Concessionaire within 30 days after actual COD, by the Engineer/Independent Engineers.

[F.No. NHAI/13013/746/CO/12-13/GC-Trichy (0.00 -124.84)-OMT]

ALKESH SHARMA, Jt Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.